न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2020 G.C.M.S. No. 2020/00183 दर्ज दिनांक : 29.09.2020

अपीलार्थी:

1. आसन रिद्धरावल जी शाश्वत नाबालिग वाके निमाज जरिये मुख्य प्रन्यासी/अध्यक्ष भंवरनाथ पुत्र श्री नेपालनाथ जाति नाथ निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नायब तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।
2. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2020 बअनवान डोली बनाम आसन रिद्धरावल जी जरिये नायब तहसीलदार जैतारण बनाम भंवरनाथ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री अमित त्रिपाठी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राज पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2020 बअनवान डोली बनाम आसन रिद्धरावल जी जरिये नायब तहसीलदार जैतारण बनाम भंवरनाथ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में आसन बनाम रिद्धरावल जी के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 11–08 बीघा आई हुई हैं। उक्त भूमि देवस्थान विभाग जोधपुर के रजिस्टर में इन्द्राज है। उक्त भूमि के देखरेख सार संभाल व विकास एवं सुरक्षा हेतू एक ट्रस्ट आसन बनाम रिद्धरावल ट्रस्ट देवस्थान विभाग द्वारा सृजित किया हुआ है, जो 10/1990 पंजीकृत है। जिसका अपीलान्ट महन्त प्रन्यासी व अध्यक्ष है। वादग्रस्त कृषि भूमि आसन रिद्धरावल ट्रस्ट की निजी अचल जायदाद है न कि राजस्थान सरकार/सावर्जनिक भूमि हैं। जिसके सम्बन्ध में देवस्थान विभाग द्वारा पारित निर्णय तारीख 08.10.2007 की प्रति साथ पेश है। जिससे स्पष्ट है कि सरहद मौजा निमाज में आसन बनाम रिद्धरावल जी के नाम की समस्त भूमियां मय खसरा नम्बर 280 रकबा 11–08 बीघा आसन रिद्धरावल ट्रस्ट की निजी अचल सम्पदा है, जिस पर एक मात्र स्वामित्व हक व अधिकार आसन रिद्धरावल ट्रस्ट का है, जो वर्तमान में प्रभावी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यरत है। रेस्पोंडेन्ट राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिन्हें राजस्थान सरकार की व सावर्जनिक भूमियों बाबत् हक व अधिकार प्राप्त है, न कि निजी सम्पदा के रेस्पोंडेन्ट वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। क्योंकि उक्त भूमि आसन रिद्धरावल ट्रस्ट की निजी सम्पदा है। प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट ने एक वाद व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विरूद्ध अपीलान्ट सहायक कलक्टर जैतारण के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र पर दिनांक 27.08.2020 को न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना एकपक्षीय जैर लम्बित अपील आदेश पारित किया गया, जबकि रेस्पोंडेन्ट के उक्त आसन रिद्धरावल जी की ट्रस्ट की भूमि के सम्बन्ध में वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण हक व अधिकार ट्रस्ट व देवस्थान विभाग जोधपुर में निहित है। क्योंकि उक्त सम्पदा ट्रस्ट की निजी जायदाद है व देवस्थान विभाग में पंजीकृत है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने के पूर्व ऐसे कोई आधार रेकर्ड पर नहीं लिये हैं कि तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा इकतरफा जारी की जावें। इस प्रकार अगर इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा बिना विपक्षी को नोटिस दिये जारी की जाती हैं तो उसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय को कारण लेखबद्ध करना आज्ञापक प्रावधान है। ऐसा भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय से इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बिना अपीलाण्ट गैर सायल को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाये बिना एवं सूचित किये बिना, इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कारण लेखबद्ध किये बिना प्राप्त किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी डोली बनाम आसन रिद्धरावल शाश्वत नाबालिग जरिये नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई तथा दिनांक 30.09.2020 को प्रकरण में रिसीवर नियुक्त किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अंतरिम आदेश दिनांक 27.08.2020 के विरूद्ध हस्तगत अपील स्वयं को आसन रिद्धरावल जरिये मुख्य प्रन्यासी/अध्यक्ष अंकित करते हुए रेस्पोंडेंट के रूप में तहसीलदार व नायब तहसीलदार को संयोजित करते हुए प्रस्तुत की गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के प्रकरण में प्रार्थी के रूप में डोली बनाम आसन रिद्धरावल शाश्वत नाबालिग जरिये नायब तहसीलदार जैतारण है तथा अप्रार्थीगण के रूप में क्रमशः भंवरनाथ, नथमल, धर्माराम व सत्यनारायण है। अपीलाधीन आदेश उक्त चारों अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया गया। जो प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। लेकिन अपीलांट द्वारा प्रथम तो स्वयं को आसन रिद्धरावल की ओर से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए बिना हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। जबकि आसन रिद्धरावल अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थी को मूल स्वरूप में बतौर पक्षकार संयोजित ही नहीं किया गया है तथा न ही अप्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त अपील पक्षकारान के असंयोजन व कुसंयोजन से भी ग्रस्त है। साथ ही अपीलांट द्वारा उक्त रूप में अपीलांट अधीनस्थ में पक्षकार नहीं होने के बावजूद अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन प्रस्तुत किए बिना हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। जो पोषणीय नहीं हैं।

2. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश होने, अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने एवं अपील आवश्यक पक्षकारान के कुसंयोजन व असंयोजन से ग्रस्त होने से पोषणीय व ग्राह्य नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आवश्यक पक्षकारान के कुसंयोजन व असंयोजन से ग्रस्त होने, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश आगामी तारीख पेशी तक के लिए पारित अंतरिम आदेश होने से अपील पोषणीयता व ग्राह्यता के स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली